## माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर केम्प, भोपाल

प्र0क्र0............................../ 15

निग0-2605-PBR/15

(1) **ज्ञानसिंह** पुत्र श्री भूरा जी
(2) **कमल सिंह** पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
कृषक एवं निवासी–ग्राम–पारदी,
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल——**प्रार्थी/आवेदक**

**विरूद्ध**

**प्रदीप** पुत्र श्री मोहर सिंह
कृषक एवं निवासी–ग्राम–पारदी,
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल——— **प्रतिप्रार्थी**

श्री धीरेन्द्र मिश्रा
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 28-7-15
को भोपाल कैम्प पर
प्रस्तुत
[signature]
28-7-15

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त हर्राखेड़ा बैरसिया के प्र.क्र. 8/अ–70/13–14 प्रदीप विरूद्ध ज्ञान सिंह में पारित आदेश दिनांक 26.06.15 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है**

12 124

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

2605 अनुवृत्ति आंदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 –पीबीआर / 15 जिला – भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 28–7–2015 | आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार वृत हर्राखेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–2015 की सत्यप्रतिलिपि एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |